यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव

प्रलिम्सि के लिये:

वशिष रिपोर्ट 301, IPR, दोहा घोषणा, प्राथमिकता निगिरानी सूची, भारतीय पेटेंट अधिनियिम।

मेन्स के लिये:

भारत के IPR से संबंधति मुद्दे, भारतीय पेटेंट अधिनियिम।

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी **वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट** में भारत में IP चुनौतियों को उजागर किया।

- रिपोर्ट में **कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक** के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत IP के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसने छह अन्य देशों- **अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला** के साथ भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
- यू.एस. व्यापार कानून ("विशेष 301") के लिये देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण और बाज़ार पहुँच प्रथाओं की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता है।
- व्यापार भागीदार जो वर्तमान में आईपी अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें या तो प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में रखा जाता है।

भारतीय पेटेंट व्यवस्था:

- पेटेंट आविष्कार के लिये दिये गए अधिकारों का एक विशेष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
- भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के तहत पेटेंट दिये जाते हैं यदि आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
  - यह नया होना चाहिये।
  - इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिये या यह स्पष्ट नहीं होना चाहिये।
  - यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिये सक्षम होना चाहिये।
  - इसे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहिये।
- भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लिया है।
- 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते का एक पक्ष बन गया।
  - इसके बाद इसने ट्रिप्स का अनुपालन करने हेतु अपने आंतरिक पेटेंट कानूनों में संशोधन किया गया, विशेष रूप से वर्ष 2005 में जब इसने कानून में फार्मास्युटिकल उत्पाद पेटेंट को शामिल किया गए।
- **IPR से संबंधित अन्य कन्वेंशन:**
  - भारत कई बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित कन्वेंशन/सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जिसमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट, बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि (PCT) शामिल हैं जो विभिन्न पेटेंट से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम ने दवा उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएँ कम कीमत पर जनता के लिये उपलब्ध हों।
  - यह न्यायविद राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में 1959 के आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
- ट्रिप्स का अनुपालन करने के लिये वर्ष 2005 के संशोधन के बाद फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट संरक्षण को फिर से पेश किया गया था।

USTR द्वारा चहि्नति कयि गए भारतीय मुद्दे:

- पेटेंट के मुद्दे "भारत में वशिष रूप से चति का वषिय बने हुए हैं", पेटेंट नरिस्तीकरण के खतरे को उजागर करते हुए पेटेंट वैधता के अनुमान की कमी और संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड वभिन्नि क्षेत्रों में कंपनयिों को प्रभावति करते हैं।
- भारतीय पेटेंट अधनियिम की धारा 3 (डी) के संबंध में संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड का मुद्दा फरि से उठाया गया था, रपिोर्ट में कहा गया था कि फार्मास्युटकिल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरकिा पेटेंट-योग्य वषिय वस्तु पर प्रतबिंध की नगिरानी करना जारी रखता है।

भारतीय पेटेंट अधनियिम की धारा 3 और धारा 3 (डी):

- धारा 3 अधनियिम के तहत आवष्किार के रूप में योग्य नहीं होने से संबंधति है।
- भारतीय पेटेंट अधनियिम 1970 (2005 में संशोधति) की धारा 3 (डी) एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामलि करने वाले आवष्किारों को पेटेंट देने की अनुमतनिहीं देती है, जब तक कयिह प्रभावकारतिा के संबंध में गुणों में महत्त्वपूर्ण रूप से भन्नि न हो।
  - या कसिी ज्ञात पदार्थ से संबंधति कसिी नई संपत्तयिा नए उपयोग की खोज मात्र,
  - या कसिी ज्ञात प्रक्रयिा, मशीन या उपकरण के केवल उपयोग के लयि जब तक कऐिसी ज्ञात प्रक्रयिा के परणिामस्वरूप एक नया उत्पाद न हो,
  - या कम से कम एक नए अभकिारक" को पेटेंट कानून के तहत संरक्षण के लयि पात्र होने से रोकता है।,
  - धारा 3 (डी) पेटेंट की "एवरग्रीनगि" के रूप में जानी जाने वाली चीज़ों को रोकती है।
    - यह एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायकि और तकनीकी रणनीतहि, जसि एक ऐसे अधकिार क्षेत्र में दी गई पेटेंट की अवधकिो वस्तृत करने / बढ़ाने के लयि उपयोग कयिा जाता है, जसिकी अवधसिमाप्त होने वाली है ताकनिए पेटेंट नरि्मति कर उनसे रॉयल्टी बरकरार रखी जा सके।
- समतिकिी रपिोर्ट के अनुसार, धारा 3 (डी) केवल नवीन और वास्तवकि आवष्किारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतस्पिर्द्धा की अनुमतदिेती है।
- नोवार्टसि बनाम भारत संघ (2013) मामले में मौलकि नरि्णय ने धारा 3 (डी) की वैधता को बरकरार रखा।

नोवार्टसि बनाम भारत संघ का अर्द्ध-नरि्णय:

- इस मामले में दवा कंपनी नोवार्टसि ने कैंसर की दवा ग्लीवेक के अंतमि रूप के लयि पेटेंट दाखलि कयिा था, जसि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कगि्लीवेक एक ज्ञात दवा का केवल बीटा क्रस्टिलीय रूप था, अर्थात्, आई मैटनिबि मेसाइलेट और प्रभावकारतिा के संबंध में गुणों में अधकि भन्नि नहीं था। इसलयि इसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सका।
- फैसले में यह भी कहा गया है कधिारा 3 ट्रपि्स समझौते और दोहा घोषणा का अनुपालन करती है।
  - ट्रपि्स समझौते और सार्वजनकि स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में वश्वि व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
    - यह घोषणा "वकिासशील और सबसे कम वकिसति देशों को प्रभावति करने वाली सार्वजनकि स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता" को पहचानती है और इन समस्याओं के समाधान के लयि ट्रपि्स को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का हस्सिा बनने की आवश्यकता पर बल देती है।
    - घोषणा में कहा गया है कसिमझौते की व्याख्या की जा सकती है और इसे सार्वजनकि स्वास्थ्य की रक्षा के लयि वश्वि व्यापार संगठन के सदस्यों के अधकिार के समर्थन में और वशिष रूप से सभी के लयि दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लयि लागू कयिा जाना चाहयि।
    - इन लचीलेपन में अनवािर्य लाइसेंस देने का अधकिार और ऐसे लाइसेंस के आधार शामलि हैं,
    - यह नरि्धारति करने का अधकिार क"िराष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनकि स्वास्थ्य संकटों सहति अत्यधकि तात्कालकिता की अन्य परस्थितियिाँ क्या हैं" और बौद्धकि संपदा अधकिारों की समाप्तकि लयि अपना स्वयं का शासन स्थापति करने का अधकिार भी शामलि है।
- अनवािर्य लाइसेंसगि एक राज्य द्वारा जनहति में लागू कयिा जा सकता है, पेटेंट मालकि के अलावा कंपनयिों को सहमतकि बनिा पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की इजाजत देता है।

आगे की राह

- भारत को धारा 3 (डी) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहयि क्योंकएिक संप्रभु देश के रूप में इसकी मौजूदा सामाजकि-आर्थकि स्थतियिों के अनुरूप पेटेंट के अनुदान पर सीमाएँ नरि्धारति करने की लचीलापन है।
  - यह जेनेरकि दवा नरि्माताओं की वृद्धऔिर जनता की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनश्चिति करता है।
- भारत को द्वपिक्षीय वार्ता के माध्यम से वृद्धशील आवष्किारों की अयोग्यता के संबंध में अमेरकिा के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहयि।
- वश्वि व्यापार संगठन के सदस्य देश 'एवरग्रीनगि' को कम करने वाले आवष्किार और पेटेंट योग्यता की कठोर परभिाषाओं को अपनाकर और लागू करके ट्रपि्स समझौते में उपलब्ध नीतगित स्थान का पूरा उपयोग करते हैं और यह सुनश्चिति करते हैं कपिेटेंट केवल तभी प्रदान कयि जाते हैं जब वास्तवकि नवाचार हुआ हो।
- धारा 3 (डी) के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दायत्वों और सामाजकि-आर्थकि कल्याण और सार्वजनकि स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लयि अपनी प्रतबिद्धताओं को संतुलति करने का प्रयास करता है।

स्रोत- द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-patent-regime-clash-with-the-u-s-norms